विवरण–2

1985–86 और 1986-87 (अक्तूबर, 1986 तक) के दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत नकद निधियों और खाद्यान्नों के उपयोग तथा रोजगार सृजन

	उपयोग की गई नकद निधियां (करोड़ रुपये में)	उपयोग किया गया खाद्यान्न (लाख मी० टन)	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन)
1. **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम :**			
वर्ष 1985–86 . . .	95.86	1.14	501.90
1986–87 (अक्तूबर, 1986 तक) . .	46.87	0.75	206.78
2. **ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम :**			
वर्ष 1985–86 . . .	99.28	0.48	407.26
1986–87 (सितम्बर, 1986 तक) .	47.77	0.63	214.09

गांवों को पीने के पानी की आपूर्ति

2453. श्री संतोष बागड़ोदिया: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत पेय जल की समस्या के समाधान के लिए एक नीति बनाई गयी है ;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान में भीलवाड़ा के जनजातीय क्षेत्रों के कतिपय गांवों में पीने का पानी खारा है, यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में पेय जल की समस्या के समाधान हेतु कोई योजना बनाई जाने की संभावना है ;

(ग) क्या यह सच है कि राजस्थान भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर पंचायत समिति क्षेत्र में जल-पूर्ति की योजना अधूरी है ; **और**

(घ) यदि हां, तो सरकार इन अधूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव):(क) सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना 20-सूत्री कार्यक्रम–1986 का सूत्र संख्या 7 है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय भूगत जल बोर्ड द्वारा 1984 में भीलवाड़ा जिले के भूगत जल संसाधन तथा विकास सम्भाव्यता पर तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, जिले के अधिकांश भाग में भूमिगत जल की क्वालिटी अच्छी है और पेयजल तथा सिंचाई प्रयोजनों के लिए उपयुक्त है। सतही जलाशयों के आसपास के भूखण्डों में क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है । चूंकि जल आपूर्ति राज्य का विषय है इसलिए राजस्थान राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए योजनाएं बनायें और उन्हें निष्पादित करे। राजस्थान सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार भीलवाड़ा जिले में 1512 गांव हैं जिनमें से स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता की दृष्टि से 1117 गांवों का समस्याग्रस्त गावों

के रूप में चयन किया गया था। मई, 1986 तक 1099 समस्याग्रस्त गांवों तथा 230 गैर-समस्याग्रस्त गांवों को स्वच्छ पेयजल का कम से कम एक स्रोत उपलब्ध करा दिया गया। जहाजपुर तहसील में 168 गांव हैं। इनमें से 143 गांवों को 31-3-1986 तक आंशिक रूप से अथवा पूर्णरूप से पेयजल आपूर्ति की सुविधाएं दी गयी हैं राज्य सरकार ने चित किया है कि इस तहसील के आंशिक रूप से शामिल किए गए तथा शामिल न किए गए गांवों को पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य चल रहा है।

(घ) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है, इसलिए जल आपूर्ति योजनाएं बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, केन्द्रीय सरकार केवल त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान को 1986-87 के लिए 21.22 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन किया गया है।

कृषि भूमि की अधिकतम सीमा

2454. श्री नरेश सी० पुगलिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि भूमि की अधिकृत सीमा का निर्धारण करने के लिए पिछले वर्ष मई, 1985 में राज्यों के कृषि मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या-क्या निर्णय लिए गए थे और क्या उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों का राज्य सरकारों द्वारा पालन किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) से (ग) भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन, जिसमें कृषि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना शामिल है, की समीक्षा करने के लिए मई, 1985 में राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के राजस्व मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। उक्त सम्मेलन में हुई सहमति के अनुसार अधिकतम सीमाओं को कम करने पर राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा विचार किया जाना था।

वर्तमान अधिकतम सीमाएं हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, मणिपुर, उड़ीसा, तमिलनाडु, सिक्किम, त्रिपुरा, और पश्चिम बंगाल में सुनिश्चित सिंचाई वाली तथा एक वर्ष में कम से कम 2 फसलें उगाने योग्य भूमि हेतु 5 एकड़ के सुझाये गये स्तर के बराबर या उससे कम है।

सुनिश्चित सिंचाई वाली और एक वर्ष में कम से कम एक फसल पैदा करने योग्य भूमि के लिए 7.5 हेक्टेयर की सुझायी गई अधिकतम सीमा की तुलना में असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, उड़ीसा तथा त्रिपुरा में वर्तमान सीमाएं कम हैं।

शुष्क भूमि के लिए 12 हेक्टेयर के सुझाये गए स्तर की तुलना में, असम, जम्मू तथा कश्मीर, केरल, मणिपुर, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा में वर्तमान सीमाएं कम अथवा बराबर हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार इस विचार से सहमत है कि वर्तमान अधिकतम सीमा को कम करने की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश पंजाब, चण्डीगढ़, दिल्ली, दादरा व नगर हवेली, राजस्थान, केरल, उड़ीसा, ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं।

महाराष्ट्र :

5 सदस्यों के एक औसतन ग्रामीण परिवार के लिए अपना जीवन निर्वाह करने हेतु पर्याप्त आय देने के लिए वर्तमान सीमा पर्याप्त है।

हरियाणा :

कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं समझा जाता है।